पंजीकृत पावती
उल्लंधन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
चतुर्थ तल, ब्लॉक – 2, सेक्टर 10–ए,
कर्मयोगी भवन, गांधीनगर (गुजरात)
ई–मेलःgandhinagar.ibm@gmail.com

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)

संख्या : गुज/जाम/बाक–28 दिनांक : 1 .02.2018

प्रेषित : M/s Saurashtra Cement Ltd.
At & P.O Ranavav, Near Railway Station,
Districrt Porbandar, Gujarat- 360560
e-mail : scl-mum@mehtagroup.com

विषय : गुजरात राज्य के जिले देवभूमी दारका, निकट ग्राम **रान** में स्थित आपकी Ran Bauxite Mine क्षेत्रफल 32.37 हैक्टेयर (सर्वे नं. 247पी) हेतु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन। (MINE CODE 07GUJ07113)

महोदय,

डॉ. एन. के. माथुर, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 12.01.2018 को किये गये निरीक्षण में पाया गया था कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन हुआ है :–

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
14	सबग्रेड खनिज को अधिभार एवं अपशिष्ट सामग्री (वेस्ट मेटेरियल) से अलग निर्धारित स्थान पर नही रखा गया है।
26(2)	नियमानुसार अनुमोदित प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान के अनुसार खान के संरक्षण एवं पुनरूद्धार (रिहेबिलिटेशन) हेतु प्रस्तावित कार्य एवं वास्तविक रूप से किए गए कार्यो की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष 1 जुलाई तक क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर को प्रस्तुत करनी चाहिए। वर्ष 2016–17 में किए गये कार्यो की उक्त रिपोर्ट आपके द्वारा अभी तक प्रस्तुत नही की गई है।
33	नियम 32 के अंतर्गत बनाए जाने वाले प्लान व सेक्शन अद्यतन कर 30 जून तक क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर को प्रस्तुत नही किए गये हैं।
46	नियम 55 की अनुपालना में नियुक्त किए गये खनन अभियन्ता की नियुक्ति की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित नहीं की गई है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, एवं उपरोक्त नियमों के उल्लघंन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत –

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरूद्व अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लघंनो का अति शीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(एस.एम.गिरहे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं/प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।

2. कमिश्नर, भू–विज्ञान एवं खान विभाग, गुजरात सरकार, ब्लोक–1, 7–फलॉर, उधोग भवन, गांधीनगर।

3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो